न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 159/2022

अनवान :

कुलदीप पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र ज्ञानीराम जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. निर्मला देवी पुत्री महावीर पत्नी मांगेराम जाति जाट निवासी डाबड़ी हाल निवासी कुटिया खेरी तहसील आदमपुर जिला हिसार।
3. शर्मिला पुत्री महावीर पत्नी भीमसिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी हाल निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. सुनीता पुत्री महावीर पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी हाल निवासी मीगंनी खेडा तहसील व जिला हिसार।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 265/294 के खसरा सं0 417 की कुल 45.9270है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 2984/15309 हिस्सा दर्ज वादभूमि में से 2/3 हिस्सा वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर पुत्र ज्ञानीराम की बजाय वादी कुलदीप पुत्र महावीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 महावीर, प्रतिवादी सं0 2 निर्मला देवी, प्रतिवादी सं0 3 शर्मिला व प्रतिवादी सं0 4 सुनीता ने अपना हक हिस्सा वादी कुलदीप के पक्ष में त्याग कर दिया है। प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम दर्ज कुल वादभूमि का 1/3 हिस्सा दादालाई साबित नहीं हो पाया है जिसे प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रखा जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner